

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन, 1939 (श॰)

संख्या- 235 राँची, मंगलवार, <u>13 मार्च, 2018 (</u>ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 20 फरवरी. 2018

संख्या-एल0जी0-27/2017-16/लेज ०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 7 फरवरी, 2018 को अनुमित दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम संख्या- 04, 2018)

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः-

अध्याय I

प्रारंभिक

- 1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-
 - (क) यह अधिनियम झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम, 2017 कहा जाएगा।
 - (ख) यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।
 - (ग) इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।
- यह अधिनियम लागू होने की तिथि से उन समस्त संपन्न विवाहो पर प्रभावी होगा, जहाँ विवाह के दोनों अथवा एक पक्षकार झारखण्ड राज्य में निवास करने वाले भारतीय नागरिक हों।
- 3) परिभाषाएँ:-
- (1) इस अधिनियम में, जबतक प्रसंग अन्यथा अपेक्षित न हो
 - (क) विवाह से अभिप्रेत है, निम्नांकित अधिनियम अन्तर्गत जाति एवं धर्म से निरपेक्ष, स्त्री एवं पुरूष के मध्य संपादित विवाह अथवा पुनर्विवाह
 - (i) विशेष विवाह अधिनियम, 1954,
 - (ii) हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955,
 - (iii) भारतीय इसाई विवाह अधिनियम, 1872,
 - (iv) म्स्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम (शरीयत) 1937,
 - (v) आनन्द विवाह अधिनियम, 1909
 - (vi) काजी अधिनियम, 1880
 - (vii) विदेश विवाह अधिनियम, 1969 तथा
 - (viii) पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936
 - (ix) विवाह से संबंधित अन्य पर्सनल लॉ अथवा परंपरा
 - (ख) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से तात्पर्य है ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम आदि
 - (ग) ''सरकार'' से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार
 - (घ) ''विदेशी नागरिक'' से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नही है तथा उनमें सम्मिलित होगें भारतीय मूल के व्यक्ति तथा पारसम्द्री भारतीय नागरिक।
 - (इ) ''पंजी'' का अर्थ है, इस अधिनियम अन्तर्गत संधारित विवाह पंजी

- 4) अन्य अधिनियम का प्रभाव बाधित नहीं:- अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधान, अन्य प्रभावी अधिनियमों के मानमर्दन में न होकर उनके अतिरिक्त होगे, सिवाय उस परिस्थित के जबिक अन्य अधिनियमों के प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत हो।
- 5) इस अधिनियम अन्तर्गत निम्नांकित अथवा अन्य विषयों पर राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
 - (क) विवाह के अनिवार्य निबंधन हेत् ऑनलाईन आवेदन के प्रेषण के संबंध में।
 - (ख) इस अधिनियम अन्तर्गत, शुल्क, जुर्माना, दंड, अर्थदंड, अधिरोपित करने तथा शुल्क आदि के भुगतान की रीति के संबंध में।
 - (ग) उन अवस्थाओं तथा परिस्थितियों के संबंध में जबिक विवाह निबंधन की प्रविष्टयों को संशोधित अथवा निरस्त करना हो।
 - (घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत वांछित अन्य किसी विषय के निर्धारण हेतु इस अधिनियम अन्तर्गत निर्मित समस्त नियम राज्यविधानमंडल की सहमति हेतु यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

अध्याय II

निबंधन पदाधिकारी

- 5) महानिबंधक विवाहः-
 - (i) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निर्गत कर इस अधिनियम के प्रभावी अनुपालन तथा इसके अनुश्रवण हेतु किसी पदाधिकारी को महानिबंधक विवाह नियुक्त कर सकेगी।
 - (ii) महानिबंधक विवाह के पर्यवेक्षण में इस अधिनियम अन्तर्गत कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार समय-समय पर अन्य पदाधिकारियों को, ऐसे पदनाम से, जैसा राज्य सरकार चाहे, नियुक्त कर सकेगी तथा उन्हें महानिबंधक के निदेशानुसार कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।
 - (iii) राज्य सरकार के निदेशों के अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रावधानों तथा अधिनियम अन्तर्गत निर्गत नियमों निदेशों के अनुपालन हेतु महानिबंधक विवाह ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगें।
 - (iv) राज्य अन्तर्गत विवाह निबंधन के कार्य को सुगमता से संपादित करने हेतु महानिबंधक विवाह, द्वारा उचित आदेश निर्गत करने तथा अधीक्षण संबंधी कार्य संपादित करने का कार्य किया जाएगा।

- 6) मुख्य विवाह निबंधकः-
 - (i) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिला में उपायुक्त को मुख्य विवाह निबंधक नियुक्त किया जाएगा, जो महानिबंधक विवाह के नियंत्रण तथा निदेशानुसार उन कार्यों का निष्पादन करेंगे जैसा महानिबंधक विवाह उन्हें करने हेत् प्राधिकृत करें।
 - (ii) मुख्य निबंधक द्वारा महानिबंधक विवाह के निदेशों के अनुसार जिलान्तर्गत संपन्न विवाहों के निबंधन का पर्यवेक्षण किया जाएगा, साथ ही इस अधिनियम के प्रावधानों तथा समय-समय पर महानिबंधक द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन का उत्तरदायित्त्व भी उसपर होगा।

7) विवाह निबंधकः-

(i) शहरी क्षेत्र में अनिवार्य विवाह निबंधन का कार्य स्थानीय शहरी निकाय यथा नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर पर्षद आदि के उन्हीं पदाधिकारियों द्वारा संपादित किया जाएगा जो अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करते हैं, अथवा ऐसे अन्य पदाधिकारियों द्वारा जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचित करें।

जबिक ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य उन पदाधिकारियों द्वारा संपादित किया जाएगा जो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करते हैं यथा पंचायत सेवक, अथवा ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचित करें।

- (ii) प्रत्येक विवाह निबंधक का कार्यालय उसी स्थानीय क्षेत्र में होगा जहाँ के लिए वह नियुक्त हो।
- (iii) महानिबंधक विवाह के निदेश के अनुसार प्रत्येक विवाह निबंधक निर्धारित दिन तथा निर्धारित समय पर अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा अपने कार्यालय के बाहरी दरवाजे के निकट किसी विशिष्ट स्थान पर अपना नाम, पदनाम, कार्यालय अवधि, क्षेत्राधिकार, अंग्रेजी, हिन्दी तथा स्थानीय भाषा में पट्टिका पर अंकित करेंगे।
- वर्तमान पदाधिकारियों की नियुक्ति अथवा पुर्ननामित करनाः-
 - (i) राज्य सरकार यथोचित अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को निबंधन महानिबंधक, मुख्य निबंधक तथा विवाह निबंधक के रूप में नियुक्त अथवा पुनर्नामित कर सकेगी।
 - (ii) राज्य सरकार इस अधिनियम, अन्य किसी अधिनियम अथवा प्रथाओं के अन्तर्गत स्थान विशेष अथवा स्थान विशेष पर निवास करनेवाले विशेष समुदाय के मध्य संपन्न विवाह के निबंधन हेतु किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को नियुक्त या पुनर्नामित कर सकेगी।
 - (iii) ऐसे नियुक्त या पुनर्नामित व्यक्ति तथा प्राधिकारी इस अधिनिमय के प्रावधानों के अन्तर्गत विवाह निबंधन के कार्यों को निष्पादित करेंगे।

- 9) विवाह निबंधक का क्षेत्राधिकार:-
- (i) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य विवाह निबंधन हेतु प्रादेशिक सीमाएँ वही होगीं जो जन्म एवं मृत्यु हेत् निर्धारित हैं।
- (ii) इस क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्रत्येक विवाह निबंधक को ऐसे संपन्न विवाह के निबंधन का अधिकार होगा, जो उसके क्षेत्राधिकार में संपन्न हुआ हो अथवा क्षेत्राधिकार के बाहर संपन्न विवाह जिसमें कम-से-कम एक पक्षकार उसके क्षेत्राधिकार का निवासी हो।

अध्याय III

विवाह निबंधन

- 10) विवाह का अनिवार्य निबंधनः-
 - (i) इस अधिनियम के प्रभावी होने के उपरांत झारखण्ड राज्य अन्तर्गत निवास करनेवाले समस्त नागरिको हेतु उक्त स्थिति में संपन्न विवाह का निबंधन कराना अनिवार्य होगा जबिक विवाह, विवाह निबंधक का क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संपन्न हुआ हो अथवा विवाह, विवाह निबंधक के क्षेत्राधिकार के बाहर संपन्न हुआ हो किन्तु दोनों अथवा एक पक्षकार उस विवाह निबंधक के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निवासी हो। परन्तु जब विवाह का एक पक्षकार अनिवासी भारतीय अथवा विदेशा नागरिक हो तो उस परिस्थित में ऐसे पक्षकार हेतु पासपोर्ट संख्या/पासपोर्ट निगर्त करनेवाले देश का नाम/स्थायी निवास/ स्थायी निवास वाले देश अन्तर्गत उसका पूर्ण पता/ वर्तमान सामाजिक सुरक्षा संख्या, अन्य किसी प्रकार का पहचान प्रमाण, जो उस व्यक्ति को उसके देश से निर्गत हो, का वर्णन करना अनिवार्य होगा तथा यह सूचना विवाह प्रमाण पत्र तथा विवाह पंजी में भी अंकित होगी।
 - (ii) परन्तु अन्य किसी विवाह अधिनियम अन्तर्गत निबंधित विवाह का निबंधन इस अधिनियम अन्तर्गत कराना आवश्यक नहीं होगा।
 - (iii) परन्तु अन्य किसी विवाह अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम अन्तर्गत विवाह के पक्षकारों को विवाह के निबंधन से बाधित नहीं करेंगे।
 - (iv) विवाह के पक्षकारों का यह दायित्व होगा कि वह विवाह के अनिवार्य निबंधन हेतु आवश्यक कदम उठायें।
- 11) विवाह निबंधन की शर्ते:-

विवाह के निबंधन हेत् निम्नांकित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा:-

- (i) वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा वधु की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो।
- (ii) दोनो पक्षकारों में किसी का पित अथवा पत्नी जिवित न हो, जबतक कि पक्षकारों के संबंधित पर्सनल लॉ में ऐसा प्रावधानित न हो।

- (iii) दोनों पक्षकारों में से कोई पागल अथवा मानसिक रूप से असंत्लित न हो।
- (iv) दोनों पक्षकारों के मध्य प्रतिबंधित संबंध न हो।
- (v) दोनों पक्षकारों में से एक भारतीय नागरिक तथा संबंधित विवाह निबंधक के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निवासी हो अथवा विवाह उस विशेष क्षेत्र में संपादित हुआ हो।
- 12) विवाह निबंधन की प्रक्रिया:-
 - (i) विवाह के अनिवार्य निबंधन हेतु समस्त आवेदन ऑनलाईन पद्धति से अथवा परिशिष्ट के प्रपत्र-I अन्तर्गत विहित प्रपत्र में विशिष्ट क्षेत्राधिकार के विवाह निबंधक को प्रेषित किये जायेंगे। पक्षकारों तथा गवाहों की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु तिथि तथा समय का निर्धारण ऑनलाईन भी किया जा सकेगा।
 - (ii) इस प्रयोजनार्थ, विवाह के पक्षकारों द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरा जाएगा जिसमें पक्षकारों का नाम, फोटो, आयु, निवास स्थान, व्यवसाय, विवाह की तिथि, विवाह का स्थान, आधार संख्या, मोबाईल संख्या तथा ऐसे अन्य आवश्यक वर्णन, जिसे विभाग मांगे, वर्णित होंगे।
 - (iii) ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन के साथ स्थानीय मुखिया, सरपंच, किसी राजपत्रित पदाधिकारी अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार प्राधिकृत करे, के स्तर से प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें यह वर्णित होगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री एवं श्रीमती....... का विवाह अमुक तिथि को संपादित किया गया है।

जबिक शहरी क्षेत्र में विवाह के पक्षकार वार्ड कमिशनर, किसी राजपितत पदाधिकारी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार प्राधिकृत करें, के स्तर से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे जिसमें वर्णित होगा कि ''मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री एवं श्रीमती...... का विवाह अमुक तिथि को संपादित हुआ है।

- (iv) ऑनलाईन आवेदन के साथ पक्षकारों द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रमाण-पत्र, वर एवं वधु के विवाह का फोटो, आमंत्रण पत्र अथवा पंडित/काजी आदि द्वारा निर्गत विवाह प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड तथा अन्य ऐसे दस्तावेज जिसे विभाग चाहे, अपलोड किये जायेंगे।
- (v) आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क/विलंब शुल्क आदि भी ऑनलाईन पद्धति से जमा किये जायेंगे।
- (vi) आवेदन के सफलतापूर्वक प्रेषण के साथ आई₀डी₀ संख्या जनित होगी तथा आवेदक अपने आवेदन की स्थिति उक्त आई₀डी₀ द्वारा पता कर सकेंगे।

- (vii) विवाह निबंधक अपने यूजर आई०डी० तथा पासवर्ड द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की जाँच कर सकेंगे तथा यदि आवेदन में कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो आवेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर वह त्रुटि सुधार हेतु पक्षकार को ऑनलाईन रूप से सूचित करेंगे। यदि विवाह निबंधन के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो भी विवाह निबंधक आवेदक को उसकी सूचना ऑनलाईन देंगे।
- (viii) एक माह के उपरांत यदि पक्षकार किसी त्रुटिसुधार अथवा विवाह निबंधन से संबंधित किसी आपितत की सूचना नहीं पाते हैं, तो दोनो पक्षकार विवाह निबंधन हेतु संबंधित विवाह निबंधक के कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- (ix) विवाह निबंधक के कार्यालय में आवेदक की आयु, निवास स्थान, पहचान, मुखिया/वार्ड कमिशनर से प्राप्त प्रमाण-पत्र की जाँच की जाएगी। सभी दस्तावेज उचित होने की स्थिति में दोनों पक्षकारों तथा तीन गवाहो का फोटो लिया जाएगा तथा विवाह निबंधक द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र ऑनलाईन निर्गत किया जाएगा जिसे पक्षकार डाउनलोड कर सकेंगे।
- (x) विवाह निबंधक द्वारा दूरभाष, एस०एम०एस०, ई-मेल अथवा अन्य वैकल्पिक माध्यमों द्वारा विवाह के पक्षकारों तथा गवाहों को पूर्व निर्धारित समय एवं तिथि पर उपस्थित होने हेतु सूचित करने का प्रयास किया जाएगाए जो कम-से-कम एक दिन पूर्व निर्गत की जाएगी।
- (xi) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के वैकल्पिक रूप में निर्धारित प्रपत्र में हार्ड कॉपी में समस्त दस्तावेजों, प्रमाण-पत्रों (जो धारा 12 iv में वर्णित है) के साथ निबंधक के समक्ष आवेदन दिया जा सकेगा। विवाह निबंधक से संबंधित समस्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन रूप से किया जा सकेगा।
- (xii) आवेदकों द्वारा आवेदन प्रज्ञा केन्द्रों अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य एजेन्सियों के माध्यम से भी किया जा सकेगा।
- (xiii) विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन तथा समस्त वांछित दस्तावेजों की जांच निबंधक द्वारा की जाएगी। समस्त दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में आश्वस्त होने के उपरांत निबंधक द्वारा विवाह का निबंधन किया जाएगा तथा प्रपत्र—iii में निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।
- (xiv) अप्रवासी भारतीय अथवा विदेश में प्रवासी पक्षकार के साथ विवाह संपन्न होने की स्थिति में निबंधक द्वारा संबंधित दूतावास से उस व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी।
- (xv) ऑफलाइन आवेदन देने की स्थिति में आवेदकों द्वारा विवाह संपन्न होने के एक वर्ष के भीतर दो प्रति में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित किया जाएगा। विवाह निबंधक

- द्वारा प्राप्त आवेदन सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा जिससे यदि व्यक्ति को आपत्ति करना हो तो वह इस संबंध में आपत्ति कर सके।
- (xvi) विवाह निबंधन हेतु व्यक्तिगत उपस्थिति के समय पक्षकारों द्वारा निम्नांकित प्रमाण प्रस्तुत किये जाएगें:-
- (क) विवाह के कम-से-कम दो फोटो एवं विवाह से संबंधित आमंत्रण-पत्र अथवा पंडित/काजी आदि द्वारा निर्गत विवाह प्रमाण-पत्र
- (ख) पति एवं पत्नी का एक साथ तीन फोटो जिनमें दो विवाह प्रमाण-पत्र में तथा एक कार्यालय अभिलेख में साटे जाएगें।
- (ग) धारा 12 (iii) एवं (iv) में वर्णित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र।
- (13) दस्तावेजों की जांचोपरांत संतुष्ट होने के उपरांत तथा किसी प्रकार की आपितत नहीं होने के स्थिति में विवाह का निबंधन किया जाएगा तथा प्रपत्र-ii में उसकी प्रविष्ट की जाएगी।
 - (क) विवाह निबंधक द्वारा इस संबंध में पक्षकारों को अन्य आवश्यक दस्तावेज को प्रस्तुत करने हेतु कहा जा सकेगा जिससे आवेदन में वर्णित तथ्यों/पक्षकारों या गवाहों की पहचान सत्यापित हो सके।
 - (ख) इस संबंध में विवाह निबंधक द्वारा पक्षकारों के आवासीय थाना क्षेत्र के थाना से भी सूचना माँगी जा सकेगी।
- (14) किन्तु जब समर्पित दस्तावेजों की जांच अथवा अन्य माध्यम से निबंधक को यह विश्वास हो कि-
 - (क) पक्षकारों का विवाह पक्षकारों के स्वधर्मशास्त्र के अनुसार संपादित नहीं हुआ है या
 - (ख) पक्षकारों की पहचान, गवाहों की पहचान अथवा विवाह का संपादन शंकारहित रूप से संपादित नहीं हुआ है या
 - (ग) प्रस्तुत दस्तावेज पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति को प्रमाणित न करता हो तो
- (15) पक्षकारों की सुनवाई के उपरांत विवाह निबंधन अस्वीकृत किया जाएगा तथा उससे संबंधित कारण स्पष्ट रूप से वर्णित किये जाऐगें। अस्वीकृति आदेश की प्रति मुख्य विवाह निबंधक को भी प्रेषित की जाएगी।
- (16) निबंधक द्वारा केवल ऐसे विवाह का ही निबंधन किया जाएगा जहाँ आवेदक सभी शर्तों को पूरा करते हों तथा जहाँ आवेदन एक वर्ष की समय-सीमा के अंदर प्राप्त हो,
- (17) विवाह निबंधक द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र दो प्रति में पक्षकारों को अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

- (18) प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी तक विवाह निबंधक विगत वर्ष में निबंधित विवाहों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन जिला निबंधक को उपलब्ध करायेंगे।
- (19) अभिलेख संधारण तथा सच्ची प्रतिलिपि:-
 - (i) ऑनलाइन प्रक्रिया अन्तर्गत विवाह के आवेदन, विवाह निबंधक द्वारा की गयी पृच्छाओं, अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये आपित्तियाँ तथा विवाह प्रमाण-पत्र, डिजिटली संधारित होगें जबिक ऑफलाईन विवाह से संबंधित अभिलेख तथा समस्त प्रक्रियाएँ हार्ड कॉपी में संधारित होगी।
 - (ii) विवाह प्रमाण-पत्र निर्गत होने के साथ दोनों पक्षकारों के नाम, पता, विवाह निबंधन की तिथि आदि से संबंधित विवरण के साथ अनुक्रमणी ऑनलाईन जनित होगी। विवाह के पक्षकारों द्वारा उन अनुक्रमणियों की खोज अवलोकन निर्धारित शुल्क भुगतान कर किया जा सकेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क चुका कर विवाह प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकेगी। अन्य व्यक्तियों द्वारा विवाह निबंधक की अनुमति प्राप्त कर अनुक्रमणी की खोज एवं निरीक्षण तथा विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकेगी।
 - (iii) विवाह निबंधक द्वारा यह अनुमित उसी स्थिति में प्रदान की जाएगी जब उसे प्रतीत हो कि यह जाँच उचित कारणों से की जा रही है।
- 20) विवाह निबंधन के संबंध में आपत्तिः-
 - (i) यदि कोई व्यक्ति विवाह निबंधन के संबंध में आपित्त करना चाहता है तो उसके द्वारा आपित्त की सत्यता के संबंध में शपथ-पत्र के साथ लिखित आवेदन ऑनलाईन विवाह निबंधक को प्रेषित करना होगा।
 - (ii) यह आवेदन विवाह निबंधन आवेदन प्रेषण की तिथि के पंद्रह दिनों के अंदर, निर्धारित शुल्क यदि हो तो, के साथ समर्पित किया जाएगा।
 - (iii) विवाह निबंधक द्वारा आपत्ति की जाँच कर उचित समय सीमा के अंदर आदेश पारित किया जाएगा।
- 21) निबंधन विवाह की वैधता का प्रमाण न हो:-
 - इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह का निबंधन विवाह की वैधता का प्रमाण न होकर विवाह के निबंधन का प्रमाण होगा।
- 22) अनिवार्य विवाह निबंधन हेतु समय-सीमाः- अनिवार्य विवाह निबंधन हेतु विवाह संपन्न होने के एक वर्ष के अंदर संबंधित विवाह निबंधक के कार्यालय में विवाह का निबंधन, अधिनियम

की धारा-10 के अन्तर्गत वर्णित पक्षकारों हेतु अनिवार्य होगा किन्तु ऐसे पक्षकार जिन्होंने विवाह निबंधन के अन्य अनिधियम यथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955, आनन्द विवाह अधिनियम, 1909, काजी अधिनियम, 1880, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 अथवा अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत अपने विवाह का निबंधन करा लिया है, अथवा इस अधिनियम के प्रवृत होने के पूर्व विवाह संपन्न करा लिया हो, उनके लिए इस अधिनियम अन्तर्गत विवाह निबंधन वैकल्पिक होगा, अनिवार्य नहीं।

- (i) बिना उचित कारण के विवाह का अनिवार्य निबंधन न कराने की स्थिति में पक्षकारों को निबंधन के समय विलंब के प्रतिदिन पाँच रूपये की दर से अधिकतम 100 रू० (एक सौ रूपये) अर्थदण्ड देना होगा। विवाह निबंधक का यह अधिकार होगा कि वह उचित कारण बताने पर दण्ड को माफ कर सके।
- (ii) प्रत्येक व्यक्ति जो विवाह के निबंधन से संबंधित अथवा अन्य विषय पर मिथ्या वर्णन करता है उस पर अधिकतम 5000 रू० (पाँच हजार रूपये) तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
- (iii) विवाह निबंधन के संबंध में अवैध आपितत करने पर भी 5000 रू० (पाँच हजार रूपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित होगा।
- (iv) ऐसे समस्त विवाह निबंधक जो बिना किसी उचित कारण के विवाह निबंधन नहीं करते हैं, उनपर उनकी सेवा नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

24) विवाह निबंधन हेत् श्ल्कः-

- (i) विवाह निबंधन के सभी ऑनलाईन/ऑफलाइन आवेदनों के साथ 50 रू0 का शुल्क भी ऑनलाईन जमा किया जाएगा
- (ii) गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों हेतु किसी प्रकार का शुल्क अथवा विलंब शुल्क देय नहीं होगा।
- (iii) विवाह प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु 50 रू० ऑनलाईन शुल्क देय होगा।
- (iv) अनुक्रमणियों की खोज हेत् प्रति वर्ष 10 रू० की दर से श्ल्क देय होगा।
- 25) विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र विवाह निबंधन का निर्णायक प्रमाण होगा।
 - (i) विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र में अंकित पक्षकारों के विवाह निबंधन का निर्णायक प्रमाण होगा।

- (ii) इस अधिनियम अन्तर्गत जारी विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र समान्य रूप से न्यायालयों, लोक कार्यालयों में प्रमाण-पत्रों में अंकित पक्षकारों के विवाह निबंधन का प्रमाण माना जाएगा, जबतक कि उसके विपरीत प्रमाणित न हो।
- 26) विवाह निबंधन से इंकार के आदेश विरूद्ध अपील:-
 - (i) विवाह निबंधक के विवाह निबंधन के आदेश के विरूद्ध एक माह के अंदर, मुख्य निबंधक के समक्ष अपील की जा सकेगी।
 - (ii) मुख्य निबंधक के आदेश के विरूद्ध, एक माह के अन्दर महानिबंधक के कार्यालय में अपील की जा सकेगी।
- 27) विवाह का निबंधन न होना- इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन विवाहों के निबंधन अनिवार्य है, उनका निबंधन न होने के कारण विवाह अवैध नहीं माना जाएगा।
- 28) विवाह का वैकल्पिक निबंधन:- इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि के पूर्व संपादित विवाह के पक्षकार, जिन्होंने वर्तमान में लागू अन्य किसी अधिनियम अन्तर्गत अपना विवाह निबंधित नहीं कराया है, वह भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विवाह का निबंधन करा सकेंगे।
- 29) इस अधिनियम के प्रावधान, भारतीय इसाई विवाह अधिनियम, 1872, आनन्द विवाह अधिनियम, 1909, हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, काजी अधिनियम, 1880, विदेश विवाह अधिनियम, 1969, पारसी विवाह तथा तलाक अधिनियम, 1936 तथा विवाह से संबंधित अन्य प्रथाओं, व्यक्तिगत कानून के मानमर्दन में न हो कर उनके अतिरिक्त होगा।
- 30) क्षतिपूर्ति:- इस अधिनियम अथवा नियमावली अन्तर्गत सदभावपूर्वक किये गये किसी-किसी कृत्य हेतु किसी प्रकार का वाद, अभियोजन अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी।
- 31) कठिनाईयाँ हटाने की शक्तिः-
 - (क) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के संगत आदेश जारी किये जा सकेंगे।
 - (ख) इस धारा के अन्तर्गत पारित समस्त नियम राज्य विधानमंडल के सत्र के समय विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत किये जाऐगें।
- 32) नियम बनाने की शक्तिः-

इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार सरकारी गजट अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

परिशिष्ट

प्रपत्र-ा

आवेदन-सह-सत्यापन प्रपत्र

विवाह निबंधन हेतु आवेदन-सह-सत्यापन प्रपत्र		
झारखण्ड सरकार		पति पत्नी का संयुक्त
	फोटो	
हमलोग निम्नांकित विवरण अनुसार झारखण्ड सरकार के समक्ष र्व	विवाह निबंधन हतु	
आवेदन समर्पित करते हैं।		
	पति	पत्नी
आवेदक का नाम		.,
आधार संख्या		
पिता का नाम		
आधार संख्या वैकल्पिक		
माता का नाम		
आधार संख्या वैकल्पिक		
राष्ट्रीयता (भारतीय/विदेशी नागरिक/ अप्रवासी भारतीय)		
विदेशी नागरिक/अप्रवासी भारतीय होने की स्थिति में पासपोर्ट		
संख्या		
धर्म		
पूरा पता		
मोबाईल संख्या/ई-मेल (वैकल्पिक)		
जन्म तिथि		
विवाह के समय आयु		
विवाह के समय नागरिक स्थिति (वैवाहिक स्थिति)		
विवाह की तिथि		
विवाह का स्थान		
गवाह का नाम		
गवाह का पता		
हमारे द्वारा घोषणा की जाती है कि हम दोनों मे से एक/हमदोनों	भारतीय नागरिक है	तथा उपरोक्त वर्णित तथ्य
सत्य है तथा इनके असत्य होने पर हम पूर्ण	ं रूप से उत्तरदायी	होगें।
गवाह का हस्ताक्षर (i) तिथि		
(ii) आवेदक का हस्ताक्षर (i)		
(iii) (ii)		
कार्यालय उपयोग हेत्		
अभ्युक्तिः-		
विवाह निबंधक का नाम/पदनाम	निबंधन का स्थानः	-
तिथि	Ī	हस्ताक्षर

प्रपत्र-II

विवाह प्रमाण पत्र

अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम, 2017 अन्तर्गत जारी विवाह निबंधन प्रमाण पत्र

मैं (विवाह निबंधक का नाम) विवाह नि	बंधक (कार्यालय का नाम) प्रमाणित करता हूँ कि श्री
(पति का नाम एवं पता) एवं श्रीमती (पत्नी क	। नाम एवं पता) आज दिनांक को
तीन गवाहों जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किया है के	साथ मेरे समक्ष उपस्थित हुए तथा घोषित किया कि
दिनांक को (स्थान) पर उनका विव	वाह सम्पादित हुआ है तथा उस समय से वह पति
	भनुरूप आज दिनांक को अनिवार्य विवाह
_	धेत किया जाता है, जो विवाह की तिथि से प्रभावी
होगा।	
गवाह का हस्ताक्षर एवं पता 1	विवाह निबंधक का हस्ताक्षर
2	पति का हस्ताक्षर
	पत्नी का हस्ताक्षर

झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 13 मार्च, 2018

प्रपत्र-III

विवाह पर्जी
1. पति का नाम पता अाधार संख्या
मोबाईल संख्या जन्म तिथि धर्म धर्म- नागरिकता-
विवाह की तिथि विवाह का स्थान विवाह
निबंधन की तिथि
2. पत्नी का नाम पता आधार संख्या
मोबाईल संख्या जन्म तिथि धर्म धर्म- नागरिकता-
विवाह की तिथि विवाह का स्थान विवाह
निबंधन की तिथि

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

20 फरवरी, 2018

संख्या-एल0जी0-27/2017-<u>17</u>/लेज॰-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2018 को अनुमत झारखण्ड अनिवार्य विवाह अधिनियम, 2017 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Jharkhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2017 (Jharkhand Act No. 04, 2018)

Preface:-

Currently there are Acts like Special Marriage Act, 1954, Hindu Marriage Act, 1955, Indian Christian Marriage Act, 1872, Anand Marriage Act, 1909, Kazi Act, 1880 for the registration of marriage of citizen of country. But under none of these Acts, the registration of marriage is compulsory. Compulsory Marriage Registration Act will do away the evils of child marriage and polygamy. Besides, it will strengthen the social condition of women in the society which will be in the interest of state as well as its citizens.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Eight Year of the Republic of India as follows:-

Chapter I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement. -

- (a) This Act may be called the Jharkhand Compulsory Registration of Marriages Act, 2017.
- (b) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the official Gazette, publish.
- (c) It shall extend to the whole of Jharkhand State.

झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 13 मार्च, 2018

- **2. Application of the Act.-** This Act applies to all marriages solemnized, on or after the coming into effect of this Act, wherein both or one of the parties is a citizen of India and resides in Jharkhand.
- **3. Definitions.** (1) In the Act, unless the context otherwise requires.-
- a) "Marriage" means and includes all marriages solemnized between a male and a female, irrespective of the religion or caste of either party to the marriage and also includes a remarriage under any of the following Act, custom or laws, namely:-
 - (i) the Special Marriage Act, 1954;
 - (ii) the Hindu Marriage Act, 1955 (25 of 1955);
 - (iii) the Indian Christian Marriage Act, 1872 (15 of 1872);
 - (iv) the Muslim Personal Law (shariat) Application Act, 1937 (26 of 1937);
 - (v) the Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909);
 - (vi) the kazis Act, 1880;
 - (vii) the Foreign Marriage Act, 1969; or
 - (viii) the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936
 - (ix) any other custom or personal law relating to marriage.
- b) "Local authority" means Gram Panchayat or Municipality or Municipal Corporation as the case may be
- (c) "Government" means Government of Jharkhand.
- d) "Foreign national" means any person who is not a citizen of India and shall include Persons of India Origin (PIO) and Overseas Citizens of India (OCI).
- e) "Register" means a register of marriages maintained under this Act.
- **4. Application of other laws not barred** save as otherwise provided, the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force, except to the extent the provisions of other laws are inconsistent with any provisions of this Act.
- 5. The State Government may by notification in the official Gazettee make rules for carring out the purposes of this Act for all any of the matter mentioned below.
- (a) The form of submitting online application for Compulsory Marriage Registration.
- (b) The fee, fine and penalty to be paid under this Act and the manner of its payment.

- (c) The condition and circumstances in which entries may be corrected or cancelled regarding marriage registration.
- (d) Any other matter required to be prescribed by or under this Act.

Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be before the State Legislature for its approval.

CHAPTER II

REGISTRATION-AUTHORITIES

- **5. Registrar General-Marriages-** (1) The State Government may, by notification in the official Gazette designate an officer as Registrar General of Marriages for the State of Jharkhand to monitor and review the effective implementation of this Act.
- 2) The State Government shall also appoint such other officers with such designations as it thinks fit for the purpose of discharging duties under the superintendence and direction of the Registrar General and such other functions of the Registrar General under this Act as he may, from time to time, authorize them to discharge.
- (3) The Registrar General shall be the chief executive authority in the state for carrying into execution the provisions of this Act and the rules and orders made there under subject to the directions, if any, given by the state Government.
- (4) The Registrar General shall take steps, by the issue of suitable instructions or order, to co-ordinate, and supervise the work of registration of marriages in the State and for securing an efficient system for Marriage Registration within the state.
- **6. Chief Registrar of Marriages.-** (1) The State Government shall appoint Deputy Commissioner as Chief Registrar of Marriage for each revenue district who shall, subject to the general control and direction of the Registrar General, discharge such functions as the Registrar General may authorize them to discharge.
 - (2) The Chief Registrar of Marriage shall superintend, subject to the direction of the Registrar General the Registration of marriages in the district and shall be responsible for carrying into execution in the district, the provisions of this Act and the orders of the Registrar General issued from time to time for the purposes of this Act.
- 7. Registrar Marriages.- (1) In urban area, the task of compulsory marriage registration will be done by those officers of urban local bodies i.e. Municipal Corporation, Municipality, Notified Area Committee, Nagar Parishad etc. who register the birth and death in their jurisdiction or such other officers whom the State Government may notify.

While in rural area, this task will be done by those officers who register birth and death in their jurisdiction i.e. Panchayat Sevaks, or such other officer as the State Government may notify.

- (2) Every Registrar of Marriage shall have an office in the local area for which he is appointed.
- (3) Every Registrar of Marriage shall attend his office for the purpose of registering marriages on such days and at such hours as the Registrar General may direct and shall cause to be placed in some conspicuous place on or near the outer door of his office, a board bearing in English, Hindi and the local language, if any, his name and designation, namely Registrar of Marriages, for the local area for which he is appointed, and the days and hours of his attendance.
- **8. Appointment or re-designation of existing authorities**-(1) the state government as the case may be shall, by suitable notification:
 - a) Appoint or re-designate any person or authority, as the Registrar General or Chief Registrar of Marriage or Registrar Marriage.
 - b) Appoint or re-designate any person or authority competent to register marriages under this Act or under any other of law or by practice, a registrar for a particular local area and/or persons belonging to any particular community residing in a particular local area.
- (2) All persons and authorities appointed or re-designated under the provisions of this Act shall discharge their functions relating to registration of marriages in accordance with the provisions contained in this Act.
- **9. Jurisdiction of Registrars.-** (i) In both rural and urban area, the jurisdiction for registration of compulsory marriage will have the same territorial limit, as is fixed for registration of birth and death.
- (ii) Every Registrar of Marriage shall be empowered to register a marriage solemnized within the local area of his jurisdiction or a marriage solemnized outside his jurisdiction, between persons at least one of whom is resident within his jurisdiction.

CHAPTER III

REGISTRATION OF MARRIAGES

10. Compulsory registration of marriages- (1) After the commencement of this Act, it shall be compulsory for all citizen residing in Jharkhand, whose marriage has been solemnised in the jurisdiction of a particular Marriage Registrar or if the marriage is solemnised outside the jurisdiction of Marriage Registrar but either of the parties of marriage is a resident of the particular Marriage Registrar jurisdiction, to get their marriage registered before the office of that Marriage Registrar.

- (2) Provided that in case of any marriage, where one of the parties is non-resident Indian or foreign national, it shall be mandatory for such parties to disclose and mention in writing, his/her passport number, name of country from which it has been issued and its period of validity, besides his/her permanent residential/official address in the country of current overseas abode and his/her valid, present social security number or any such similar other identification proof officially issued by the country of foreign abode, which information shall be entered in the certificate of marriage as also in the marriage register.
- (3) Provided that a marriage registered under any other enactment relating to registration of marriage for the time being in force, need not be registered under this Act.
 - Provided further that nothing contained in any other Act or law shall preclude the parties to a marriage from registering their marriage under the provisions of this Act.
- (4) It shall be a duty of both the parties to the marriage to take all necessary steps for compulsory registration of marriage.

11. Conditions relating to registration of marriage:-

For the registration of marriage the following conditions need to be fulfilled:-

- (i) The bride must have completed 18 years of age and bride groom 21 years.
- (ii) Neither party should have a spouse living, unless specifically provisioned in the personal law of the party.
- (iii) Neither of them should be mentally insane or lunatic
- (iv) Neither parties should be within degree of prohibited relationship
- (v) Neither of them should be incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind
- (vi) Either of the parties must be a citizen of India and a resident of the jurisdiction of concerned marriage officer or the marriage should have been solemnized in that jurisdiction.

12. Procedure for registration of marriage:-

(a) All application for compulsory registration of marriage may be submitted online or in prescribed format as Form-I in the Annexure before the Registrar of Marriages of that particular jurisdiction. Date and time may be fixed for appointment for the personal appearance of applicant and witnesses.

- (b) For this purpose, parties of marriage will be required to fill online the application form having details such as name, photographs, age, dwelling place, profession, date of marriage, place of marriage, Aadhar Number, Mobile number or such other details as the department may require of both the parties of marriage.
- (c) In rural areas, with the application, the parties will attach a certificate from the level of respective Mukhiya or Sarpanch or any gazetted officer or such other person as the State Government may notify, mentioning that "I hereby certify that, the marriage of Mr. and Mrs...... has been solemnized on....... Date.

While in urban areas, the parties will be required to attach a certificate from the level of ward commissioner, any gazetted officer or such other person whom the State Government notifies, mentioning that "I hereby certify that the marriage of Mr. and Mrs...... has been solemnized on....... Date.

- (d) The applicants will be required to upload the above mentioned certificate, wedding photos, wedding card or certificate of marriage from priest, Kazi etc., age proof, Residence proof, Adhaar card or such documents as the department may require at the time of submission of online application.
- (e) At the time of submission of application for compulsory registration of marriage, a fine/late fee, as prescribed by the State Government shall also be paid online.
- (f) After the successful submission of application, an Id will be generated and the applicants will be able to track the status of their application, through this Id.
- (g) The Registrar of Marriage shall examine with his user ID and Password the application online, and if he finds any defect in the application he will communicate to the parties online for its rectification within one month of the submission of application. He will also communicate the parties, about the objection raised by any one regarding their marriage.
- (h) After one month, if the parties don't receive any communication regarding the rectification of any mistake or regarding any objection to the registration of marriage, they will appear before the Registrar of Marriage for the registration of their marriage.

- (i) In the office of Marriage Registrar, all documents, regarding applicant's age, dwelling place, identity Certificate from the level of Mukhiya/Ward Commissioner, etc. will be examined. If the Registrar of Marriages finds everything proper, the photograph of the applicants along with 3 witnesses will be captured and the certificate of marriage will be generated online by the Registrar of Marriages. The applicant will be able to download the certificate of marriage issued by the Registrar of Marriage.
- (j) Each office of the Registrar would endeavour to provide a prior appointment on a designated date and time for the personal appearance of the applicant along with the witnesses either telephonically, through a text message (sms), email or other alternative means giving no less than one day advance notice to the applicant.
- (k) The applicant would have the choice of adopting a paper based process wherein the prescribed application and other proofs as mentioned in 12 (C)(D) may be submitted to the Registrar in paper form. The payment of all fees shall be made online at the time of submission of application at the treasury or such authorized service outlets.
- (l) The applicant would be able to submit the application through the Common Service Centers, or other service outlets authorized/ notified by the government.
- (m) Registrar shall receive and scrutinize application in Form-I for registration of marriages and ensure that all the documents required (as detailed in Form-I) with the application have been received. On being satisfied with the genuineness of the documents submitted, the Registrar shall register the marriage by making entry in the prescribed register as per Form-II.
- (n) In case of marriage of any indian citizen solemnized in india with a person of foreign domicile the Registrar shall verify such domiciliary status from the embassy of the country of which he/she claims to be citizen.
- (o) For offline Marriage the parties to a marriage shall prepare and sign memorandum on prescribed form and deliver the same in duplicate to the Registrar of the area concerned within a period of 1 Year from the date of marriage, who will publish it on the notice board of office so that if any one of has objection, he could lodge it.

- (**p**) At the time of personal appearance the following documents are required as proof of marriage:
 - (a) At least two wedding photos, wedding card or certificate from religious institution or priest who solemnized the wedding or Nikah Naama or Certificate from Anand Karaj in Gurudwara's.
 - **(b)** Three Joint photos of husband and wife (3 inch x 2 inch photographs i.e. two for marriage certificate and one for office record).
 - (c) The documents/certificates mentioned in para 12(c)(d).
- Where on scrutiny of the documents, the Registrar concerned is satisfied that there is no objection to registering the marriage, he shall register the same within the period as may be prescribed by making an entry in the register, as at Form-II.
 - (a) Registrar may call upon the parties to produce such further information of documents as deemed necessary, for establishing the identity of the parties and the witnesses or correctness of the information or documents presented to him: or
 - **(b)** If deemed necessary, he may also refer the papers to the local police station within whose jurisdiction the parties reside, for verification.
- Whereas the Registrar before whom the memorandum/application form is presented, on scrutiny of the documents submitted with the application or, on the other facts noticed or brought to his notice, has reason to believe that -
 - (a) The marriage between the parties is not performed in accordance with the Personal law of the parties: or
 - **(b)** The identity of the parties of the witnesses or the persons testifying the identity of the parties and the solemnization of the marriage is not established beyond reasonable doubt; or
 - (c) The documents tendered before him do not prove the marital status of the parties.
- 15. The Registrar, after hearing the parties, refuse to register the marriage if it is not fit for registration and after recording the reasons in writing, in such event, the registrar shall send the duplicate copy thereof to the Chief Registrar of Marriage.

- Registrar shall register only those marriages for which the applicants fulfil all the conditions as stated above and the application for registration is presented within the stipulated period of one year from the date of marriage.
- 17. The Registrar shall issue two copies of the marriage registration certificate in Form IV, free of cost to the couple under his hand and seal.
- 18. The Registrar shall send an annual report to the Chief Registrar of Marriage, for each calendar year, by the 15th of January of the subsequent year.

19. Maintenance of Records and Certified Copy:-

- (i) All records of online application, queries raised by the marriage registrar, all objections regarding marriage, all marriage certificates shall be preserved digitally while the records of offline application will be maintained in hard copy.
- (ii) At the time of issuing marriage certificate index relating to it having the particulars such as the name of both parties, address date of marriage registration etc. will be generated online. Parties to marriage will be permitted to search & inspect, on payment of cost prescribed in rules these indexes and obtain certified copy of marriage certificate online paying the required fees fixed by the State Government. Every other person will be permitted to view and inspect these index and obtain certificate from registrar of marriage subject to permission granted by registrar of marriage. The marriage registrar shall grant permission on finding that it is being used for genuine and reasonable purposes.

20. Objection to Marriage Registration:-

- (i) Any person who wants to lodge an objection regarding the registration of marriage will be required to submit online a written complaint before the Registrar of Marriage along with an affidavit regarding the genuineness of his objection.
- (ii) This objection can be lodged within 15 days of the submission of marriage application along with the prescribed fee, if any.
- (iii) The Registrar Marriage will examine the objection and pass order within reasonable time.

- **21. Registration to be no proof of the validity of marriage:-** The registration of marriage under this Act shall not be a proof of the validity of marriage under any law. It shall only be proof of registration of marriage.
- 22. Time Limit of Compulsory Registration of Marriage: After the commencement of this Act, it shall be compulsory for all people mentioned in section 10, to get their marriage registered in the office of Marriage Registrar of that particular jurisdiction, within one year of the solemnisation of marriage. But for those couple who have got their marriage registered under any other Act such as Special Marriage Act, 1954, Hindu Marriage Act, 1955, Anand Vivah Act, 1909, Kazi Act, 1880, Indian Christian Marriage Act, 1872, or any other Act for the time being in force, or marriage solemnized before commencement of this Act, the registration of marriage under this Act will be only optional and not compulsory.
- **23. Penalty:-** (i) A penalty of Rs 5 per day, subject to a maximum of Rs 100 will be levied from the parties at the time of marriage registration, in case of non registration of marriage with in time without reasonable cause. The Marriage Registrar may remit the fine on proper cause being shown.
 - (ii) Any person who makes a false statement regarding his marriage or other details shall be punished which may extend upto Rs. 5000.
 - (iii) Making baseless and false objection about the registration of marriage shall also attract a penalty of Rs. 5000.
 - (iv) All Registrar of Marriages, who fail to register marriage without proper reason will be liable of departmental proceeding under their service rule.

24. Fee for Registration of Marriage:-

- (i) All online/offline application for Compulsory Registration of Marriages will be submitted with online payment of Rs. 50 as registration fee
- (ii) No fee or late fine will be charged from the applicants, if either of the two, or both belong to Below Poverty Line category.
- (iii) A fee of Rs 50 to be paid online will be charged for getting the certified copy of a marriage certificate.
- (iv) For searching the indexes, a fee of Rs. 10 per year will be charged from the applicant.
- 25. Certificate of Registration of Marriage to be Conclusive Proof of Marriage Registration.-

- (1) A Certificate of Registration of Marriage shall be conclusive proof of the marriage registration of the parties named in the certificate.
- (2) A Certificate of Registration of Marriage issued under this Act shall ordinarily be received by any court, government office or public authority as proof of marriage between the persons named therein and the same shall be presumed to be correct, unless the contrary is proved.
- **26. Appeal against the order of refusal of marriage registration:-** (i) All appeals against the order of refusal of marriage registration by the Marriage Registrar shall be made before the Chief Registrar of marriage within one month of the order of refusal.
 - (ii) Appeals against the order of Chief Registrar of marriage will be made before the Registrar General of Marriage, within one month of order.
- **27. Non registration of marriages.**-No marriage performed to which this act applies shall be deemed to be invalid solely by reason of the fact that it was not registered under this Act.
- **28. Voluntary registration of Marriages.-** Persons married before the coming into force of this Act and whose marriage is not already registered under any other Act previously in force, may also register their marriage under this Act by following the procedure under the Act.
- 29. The provision of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of Indian Christian Marriage Act 1872, Anand Marriage Act 1909, Hindu Marriage Act 1955, Special Marriage Act 1954, Kazi Act 1880, Foreign Marriage Act 1969, the Parsi Marriage and Divorce Act 1936 or any other custom or personal law relating to marriage.
- **30. Indemnity** No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or the rules made there under.

31. Power to remove difficulties -

- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government, by notification in the official Gazette, make such orders, not inconsistent with the provisions of this Act, as to appear to it necessary or expedient for removing the difficulty.
- (2) Every order made under this section, as soon as may be after it is mad be laid before the state legislative while it is in session.

32. Power to make rules.

(1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying and the purposes of this Act.

Annexure -1

Application cum verification form

Applica (for झारखण्ड सरक	Joint photograph of Husband and wife				
we hereby apply to the Government of Jharkhand, for registration of marriage as per the particulars below					
	Bridegroom	Bride			
	वर	वधू			
Name of applicant					
UID No. (*)					
Father's Name					
UID No. (optional)					
Mother's Name					
UID No. (optional)					
Nationality (Indian/foreign					
National/NRI) Yes/No					
If yes give the passport No. (*)					
Religion (*)					
Full Address (*)					
Mobile No./E-mail ID (optional)					
Date of Birth (*)					
Age at the time of Marriage (*)					
civil condition at the time of					
marriage (Marital status) (*)					
Date of Marriage (*)					
Place of Marriage (*)					
Name of Witness (*)					
Address of Witness (*)					
we hereby declare that one of us ha	s Indian Nationality and tha	t all the above details are			
complete and true to the best of our	knowledge and that we bea	r the liability of any false			
Information provided by us.					
		Date:			
Signature of Witnesses (i)		Signature of Applicants:- (i)			
(ii)	•	(ii)			
(iii)					
For Office use					
Remarks:	Place of Registration:	Place of Registration:			
Full Name of Marriage Registrar					
Designation					
Data	Signatura				

Note:- If any additional fields is/are required, the Annexure may be modified accordingly.

Form-II

Certificate of Marriage

Certificate of Marriage issued under Compulsory Marriage Registration Act, 2017

I (Name of Marriage Registrar) (office of marriage	e registrar) hereby certify that Mr. (Name
of Husband with address) and Mrs. (Name of wife	with address), appeared before me on this
day of 20 and that each of them in n	ny presence and in the presence of three
witnesses who have signed hereunder, have declare	ed that a ceremony of marriage has been
performed between them on at	and they have been living
together as husband and wife since the time of the	eir marriage and in accordance with their
desire to have their marriage registered under thi	s act, the said marriage has this day of
20 is registered under Compulsory Marris	age Registration Act, 2017, having effect
from the date of marriage	
Name and Address of witnesses	Sd/-
Sd/-	Marriage officer
1	Sd/-
2	Husband
3	Sd/-
	Wife

Form-III

Marriage Register

1. Name of	Husband	Address	Adhaar no	Mobile
No	Date of Birth	Religion	Citizenship)
Date of Marri	age Place	of Marriage	Date of Marriage	Registration-
2. Name of V	Wife Add	lress Adh	aar no	Mobile No
l	Date of Birth	Religion	Citizenship	Date
of Marriage	Place of	Marriage	. Date of Marriage	Registration-
•••••				

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
